

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच—एचए(1)2 / 2019— विभाजन/पुर्नगठन ५४२४१-२१३ दिनांक २२ अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त उना के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला उना के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु प्रस्तावनाएं विचाराधीन हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उना के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार विभाजित/पुर्नगठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला उना के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला उना को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला उना के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुर्नगठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला उना को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे:

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1 विकास खण्ड बंगाणा						
	1 अवेहडा धीरज	1 बगनाल 2. अटया 3 मयोड़ 4 कुखेडा राजपूता 5 कुखेडा जटटा 6 अम्बेहडा धीरज 7 अम्बेहडा राम किशन	कठोह	1 अमरोह 2 कठोह 3 चकडोआ 4 त्यार	1 बगनाल 2. अटया 3 मयोड़ 4 कुखेडा राजपूता 5 कुखेडा जटटा 6 अम्बेहडा धीरज 7 अम्बेहडा राम किशन	

		8 कुहडू 9 धर्सं 10 अमरोह 11 कठोह 12 चकडोआ 13 त्यार		8 कुहडू 9 धर्सं	
2	विकास खण्ड अम्ब	1 मनसोह टिकरी 2 पोलियां जसवालां	प्रताप नगर	1 आदर्श नगर 2 प्रताप नगर	1 मनसोह टिकरी 2 पोलियां जसवालां 3 अम्ब 4 हीरा नगर 5 आदर्श नगर 6 प्रताप नगर
		3 अम्ब			3 अम्ब 4 हीरा नगर
		4 हीरा नगर			
		5 आदर्श नगर			
		6 प्रताप नगर			
		थनीकपुरा			

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० संख्या: उपरोक्त ५४२८४-२९३० प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

दिनांक

22 अगस्त, 2020

- उपायुक्त उना, जिला उना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से ३ दिनों के भीतर निपटारा करके ई-मैल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
- जिला पंचायत अधिकारी उना को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करवाएं।
- समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला उना हिंप्र०. को इस आशय सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।
- समस्त सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पंचायत जिला उना, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का खण्ड विकास अधिकारी के सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चसपान सुनिश्चित करवाएं तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-९.